रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D,N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 1986/ज्येष्ठ 28, 1908
No. 237] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 1986/JYAISTHA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

कृषि मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 1986

अधिसूचना

का. आ. 360 (अ) :—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 के खंण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो और इस निमित्त उन्हे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियो का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर सभी पूर्व अधिसूचनाओं को, जहां तक उनका सबध बिहार, मणिपुर और उत्तर प्रदेश राज्यो से है, अतिष्ठित करते हुए, उपरोक्त राज्यों की सरकारों की सहमति से, निम्नलिखित के अधीन केन्द्रीय सरकार के कृत्य, अर्थात:—

(1) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का 1) के अधीन कृत्य सिवाए उन कृत्यो के जो उक्त अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा

प्रयोक्तव्य है; और (2) पूर्वोक्त राज्यों में संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में, भूमि अर्जन (कम्पनी) नियम, 1963 के अधीन कृत्य, पूर्वोक्त राज्यों की सरकारों को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, सौंपते हैं अर्थात्—

(क) संबंधित सरकारें ऐसे कृत्य करने में ऐसे साधारण और विशेष अनुदेशों का अनुपालन करेंगी जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर जारी करे; और

(ख) कृत्यों के इस प्रकार सौंपे जाने पर भी, केन्द्रीय सरकार यदि वह किसी मामले में ऐसा करना ठीक समझती है तो, उक्त कृत्यों में से किसी को स्वयं कर सकती है।

[फाइल सं. 12011/32/17/84एलआरडी]
जी. अश्वथानारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Rural Development)

New Delhi, the 18th June, 1986

NOTIFICATION

S.O. 360(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution of India and of all other powers enabling him in this behalf and in supersession of all previous notifications on the subject in so far as they relate to the States of Bihar, Manipur and Uttar Pradesh, the President, hereby entrusts to the Government of the said States, with their consent, the functions of the Central Government under :—

(i) the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), except the functions exercisable by the Central Government under the proviso to sub-section (1) of section 55 of the said Act; and

(ii) the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963, in relation to the acquisition of land for the purposes of the Union in these States, subject to the following conditions, namely :—

(a) that in the exercise of such functions, the respective Governments shall comply with such general and special directions as the Central Government may, from time to time, issue; and

(b) that, notwithstanding the entrustment, the Central Government may itself exercise any of the said functions should it deem fit to do so in any case.

[F. No. 12011/32/17/84-LRD]
G. ASVATHANARANYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986